[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा शुल्क (एन. टी.)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा. का. नि. ..... (अ) केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (7) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में –

(क) नियम 2 में, खंड (ख) में, "आयातक हैं," शब्दों के पश्चात्, 'और तब "घरेलू उद्योग" पद का निर्वचन शेष उत्पादकों को निर्दिष्ट करते हुए किया जा सकेगा', शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 6 में, उप-नियम (4) में "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 24 में, -

(i) 1 जुलाई, 2021 से, उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु नियम 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन प्रतिशुल्क की समाप्ति के न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा ।";

(ii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) उप-नियम (4) के अधीन, नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।";

(घ) नियम 26 में उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क के परिवंचित होने के अभिकथित वस्तु के आयातों के अनंतिम निर्धारण का अवलंब ले सकेगी और केंद्रीय सरकार, नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय किए जाने के समय तक आयातकर्ता से गारंटी की मांग कर सकेगी ।";

(ङ) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 28 में उप-नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन शुल्क की समाप्ति से न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा ।"।

[फा. सं. 334/02/2021-टी.आर.यू.]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं0 1/1995-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 संख्यांक सा.का.नि. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 10/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि 74(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किए गए थे ।